तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
15.3.24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण एंव विपक्षीगण की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र पर बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र को स्वीकार किये जाने की इच्छा की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। न्यायहित मे वकील प्रार्थी का प्रा. पत्र O9 R9 व सपठित धारा 15) जा.दी. स्वीकार किया जाता है। तथा मूल वाद दिनांक 16.2.18 को अदमहाजरी अदमपैरवी मे खारीज हुआ उसको पुन: नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवादपत्र के साथ संलग्न हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:20:25 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner